



जीव हत्या और मांसाहार

(विज्ञान, तर्क और धर्म ग्रन्थों के आधार पर एक विवेचन)

मार्गदर्शन

सैयद अब्दुल्लाह तारिक़

लेखन

मुद्रिस्सर खान

एक पालनहार के नाम से जिस ने जीवों को ही जीव का भक्ष्य बनाया

मार्गदर्शन
सैयद
अब्दुल्लाह
तारिक़
लेखन
मुद्रिस्सर
खान

मांसाहार
और
जीव हत्या

(विज्ञान, तर्क और धर्म ग्रन्थों के आधार
पर एक विवेचन)

Rs. 10/-

रौशनी पब्लिशिंग हाउस, बाज़ार नसरुल्लाह खाँ, रामपुर उ. प्र.

मूल आपत्ति — जीव हत्या

हमारे देश में बहुत से लोग शाकाहारी हैं। इन में से कुछ को दूसरों के मांसाहार पर या तो इस लिये आपत्ति है कि यह धर्म-विरुद्ध है या इस लिये कि किसी जीव की हत्या करना मानवता के विरुद्ध है। मांसाहार को वे 'जीव हत्या' कहते हैं। यद्यपि देश की अधिकांश जनसंख्या मांसाहारी है परन्तु यदि मांसाहार पाप या अपराध है तो इसे रुकना ही चाहिये। क्या यह वास्तविकता में पाप या मानवता के प्रति अपराध है? क्या मांसाहारी जीव हत्या के दाष्ठी होते हैं? आईये इस प्रश्न पर धर्म, विज्ञान व तर्क की रौशनी में विचार करें।

जीव कौन हैं?

जीव किसे कहते हैं? क्या केवल पशु ही जीव हैं? और पशुओं में भी क्या सिर्फ़ गाय थैंस व बकरी ही जीव हैं? क्या साँप, विच्छू आदि जीव नहीं हैं? क्या मच्छर और खटमल जीव नहीं हैं? और जो इनसे भी छोटे कीटाणु, जीवाणु आदि हैं क्या वे जीव नहीं हैं? यह समस्त पशु-पक्षी परिवार (Animal Kingdom) है और यह सभी जीव हैं। इस परिवार में ऐसे जीव भी शामिल हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं। जीव हत्या का विषय केवल खाने ही तक क्यों सीमित रहे, हर प्रकार की जीव हत्या रुकनी चाहिये।

मनुष्य, पशु-पक्षी और वनस्पति, यह तीनों जीव की श्रेणियाँ हैं, यही धर्म भी कहता है और यह बात विज्ञान भी कहता है। इन सब में नर-मादा भी होते हैं। इन सभी में विकास और बढ़ोत्तरी होती है। निर्जीव नहीं बढ़ता। विज्ञान के अनुसार यह सुख-दुख भी महसूस करते हैं यद्यपि हम को पता नहीं चलता। जब हम जीव हत्या की बात करें तो इन सब के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिये और

खाने ही के लिये नहीं बल्कि हर प्रकार की जीव हत्या को रोकने के लिये वचनबद्ध होना चाहिये। क्या मांसाहार विरोधियों को यह मान्य होगा? क्या यह संभव भी है? यदि यह संभव नहीं है तो क्या ईश्वर ने प्रकृति के लिये अप्रकृतिक नियम रखे हैं?

हिंसा क्या है?

'अहिंसा परमो धर्मः' अहिंसा परम धर्म है। परन्तु वास्तव में हिंसा है क्या? सत्य तो यह है कि जिसने पैदा किया है उसके बनाए हुए कानून पर नहीं चलना हिंसा है। अगर किसी ने शराब पी, तो उसने ईश्वर का नियम तोड़ा और अपने विरुद्ध भी हिंसा की तथा अपने घर वालों व पड़ोसियों के प्रति भी हिंसा की।

ज़रा साचिये! हमें किसने यह अधिकार दिया है कि जिस जीव (गाय, घोड़ा, बकरी इत्यादि) को ईश्वर ने स्वतन्त्र पैदा किया हम उसके गले में पटटा डाल कर खूँटे से बांध कर रखें, घोड़े की सवारी करें और जीवों को अपने कार्य करने के लिये प्रयोग करें, उन पर बोझा लादें? यह हिंसा है या यह हिंसा नहीं है? अगर यहां यह कहा जाए कि हम बदले में उनको भोजन उपलब्ध कराते हैं तो प्रश्न उठेगा कि क्या आप यह मनुष्य के साथ कर सकते हैं? उसे बहुत अच्छा खाना कपड़ा देकर खूँटे से क्यों नहीं बांध सकते? चूंकि उपरोक्त बात अप्रकृति लगती है इसलिये इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर ने समस्त जीवों के बीच श्रेणियाँ बनाई हैं जिसमें उच्चतम स्थान मनुष्य का है, उसके बाद पशु-पक्षी, फिर पेड़ पौधे हैं और ईश्वर ने ही इन दोनों श्रेणियों को मनुष्य के प्रयोग के लिये बनाया है। क्योंकि यह ईश्वरीय नियम अर्थात् धर्म है कि मनुष्य अपने फ़ायदे के लिये पशुओं को मुनासिब खाना आदि दे कर उन की इच्छा के खिलाफ़ भी उन से अपनी मर्ज़ी का काम ले कर उन्हें खूँटे से बांध सकता है, इस कारण यह हिंसा नहीं है। ईश्वर के

विधान के अनुसार चलने में अर्थात् धर्म का पालन करने में हिंसा नहीं होती अन्यथा गाय का दूध दुहने और उसे खँूट से बांधने में भी हिंसा होती और अधर्म होता।

जीव हत्या

हिंसा के बाद जीव हत्या की बात करते हैं। हत्या परं भी हिंसा वाला सिद्धान्त लागू होगा।

जीवन और मृत्यु का चक्र उसी ईश्वर ने रखा है। हर जीव को एक दिन मृत्यु आनी है, अगर उसके कानून के मुताबिक जान जा रही है तो हिंसा नहीं है, क्योंकि यह नियम भी उस ईश्वर ने बनाया है कि किस तरह से जान जाना है और एक दूसरे के सम्बद्धों में दूसरों का कहां तक प्रयोग किया जा सकता है। यदि ऐसा न हो तो हर प्रकार का भोजन, चाहे मांसाहार हो या शाकाहार, वह जीव हत्या ही होगा।

शाकाहार में मांसाहार से अरबों गुना जीव-हत्या

यदि जीव को खाने के लिये मारने को जीव हत्या कहें तो धर्म तथा विज्ञान दोनों के अनुसार हर पेड़, पौधा व वनस्पति जीव होता है और सब से अधिक जीव हत्या खेती में होती है।

मिट्टी को उपजाऊ बनाने में और मिट्टी को समतल करने में भी सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है, इस प्रक्रिया में जितनी बार भी हल चलाया जाता है उससे बड़ी संख्या में सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है, खाद डालने से, कीट नाशक दवाओं का प्रयोग करने से भी बड़ी संख्या में सूक्ष्म जीव मरते हैं। फिर नराई में जितने धास-फूस व जंगली पौधे उखाड़े जाते हैं, वे सभी जीव होते हैं और बात यहीं तक सीमित नहीं बल्कि खेती की तमाम प्रक्रियाओं से गुज़रते हुए जो फ़सल काटी वह भी जीव थे। एक एकड़ ज़मीन से फ़सल लेने

के लिये इतने जीवों की हत्या होती है कि विश्व भर के मांसाहारी मिल कर वर्ष-भर में भी इतने जानवर नहीं काट सकते। मांसाहार विरोधियों के अनुसार विश्व में एक साल में लगभग 50 अरब जानवर खाने के लिये काटे जाते हैं परन्तु एक एकड़ खेत से केवल एक फ़सल लेने में खरबों से भी ज़्यादा की संख्या में जीवों की हत्या होती है।

विचारनीय बात यह है कि पूरे विश्व में मांसाहारी जितने जानवर काटते हैं वह खाने के लिये काटते हैं परन्तु एक एकड़ खेती या बाग से फ़सल प्राप्त करने के लिये खाने योग्य जीवों की, कटाई से पहले ही खरबों की संख्या में जीव हत्या आवश्यक होती है। यह एक एकड़ का अनुमान है। विश्व भर में शाकाहारियों के भोजन के लिये मांसाहार करने वालों की तुलना में अरबों गुना अधिक जीवों की हत्या होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Agriculture is the largest killing industry in the world अर्थात् ‘खेती संसार का सब से बड़ा हत्या-उद्योग है’।

अगर जीवों को खाना जीव हत्या है तो इस धरती का कोई भी इंसान बिना जीव हत्या किये हुए जीवित नहीं रह सकता क्योंकि पैदा करने वाले ने ही यह नियम बनाया है कि जीवों के भक्ष्य सिर्फ़ और सिर्फ़ जीव होते हैं।

हमें यह तय करना पड़ेगा कि वह लोग जो अपने आप को शुद्ध शाकाहारी कहते हैं क्या वह किसी जीव की हत्या नहीं करते? क्या कोई मनुष्य इस धरती पर बगैर जीव का सेवन करे जीवित रह सकता है? जब खाद्य पदार्थ सभी जीव हैं तो मनुष्य को यह तय करने का आधिकार नहीं है कि गाजर, मूली की हत्या, हत्या नहीं है और भैंस, बकरे व बैल को काटना हत्या है। अब जो लोग जीव नहीं खाना चाहते तो वह तो पत्थर मिट्टी ही खा सकते हैं। स्पष्ट

है कि यह सम्भव ही नहीं कि मनुष्य निर्जीव खाए। इन्सान को जिसने बनाया है उसने हमें ऐसा ही बनाया है कि हम जीव खाएं। अब एक बात तो सिद्ध है कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ जीव खाता है, निर्जीव खा ही नहीं सकता, और संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खाने के लिये जीव हत्या नहीं करता।

तड़पता हुआ देखने का तर्क

जब यह बात सिद्ध हो जाए कि हर मानव का आहार केवल जीव हैं और शाकाहार में मांसाहार से अखों गुना अधिक जीव हत्या होती है तो शाकाहारी कहते हैं कि साग सब्ज़ी काटने में उन का कष्ट दिखलाई नहीं पड़ता जब कि जानवर काटा जाता है तो वह तड़पता नज़र आता है। यह विचित्र तर्क है। चाहे आप को नज़र आए या न आए, जीव हत्या हर हाल में हो रही है या नहीं? जीव हत्या का आरोप लगाने वालों से यदि यह कहा जाए कि तुम पशु को कट्टा हुआ कष्ट में न देखो, बाज़ार से मांस ख़रीद कर खा लिया करो, तो क्या वे इस के लिये तैयार होंगे? नहीं, वे कहेंगे कि स्वयं देखा या नहीं देखा, हम जानते तो हैं कि उसे पीड़ा हुई थी। स्पष्ट है कि असली बात हमारे सज्जान की है, दिखलाई देने की नहीं। अब विज्ञान और धर्म के आधार पर हम यह जानते हैं कि पेड़-पौधों और सब्ज़ियों में भी जान होती है, उन्हें दुःख-सुख का एहसास होता है और काटे जाने पर उन्हें अन्य जानदारों के समान अत्यन्त पीड़ा होती है। अन्तर केवल यह है कि उन का चीख़ना चिल्लाना हम नहीं सुन पाते और उन का कष्ट हमें दिखलाई नहीं पड़ता। जिस तर्क पर शाकाहारी बाज़ार से मांस लाकर नहीं खाते कि उन्होंने कटने वाले पशु की पीड़ा देखी हो या न देखी हो, वे जानते हैं कि उसे कष्ट हुआ था, सो वे ऐसा निर्दयता पूर्ण कर्म नहीं कर सकते, उसी तर्क के आधार पर उन्हें सोचना चाहिये कि

सब्ज़ी खाने पर वे क्यों सहमत हो जाते हैं? बात फिर स्पष्ट है कि वे केवल अपनी पारिवारिक परंपराओं के आधार पर मांसाहार को जीव हत्या कहे जा रहे हैं। विज्ञान, धर्म या तर्क के आधार पर निष्पक्ष होकर उन्होंने सोचा ही नहीं।

वैज्ञानिक सबूत

ईश्वर ने हर जीव को बनाया और उसको उस की आवश्यकतानुसार ही शरीर दिया। पक्षियों को उड़ने के हिसाब से बनाया, तो वैसा ही शरीर दिया पानी के जानवरों को उनके हिसाब से शरीर दिया, जंगल में रहने वाले जानवरों को वैसा ही शरीर दिया जिस की उन्हें ज़खरत थी और मनुष्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शरीर दिया। हम में से किसी ने भी अपने शरीर का चयन नहीं किया है। हमें जैसा बनाया गया है हम वैसे ही हैं।

हमारे शरीर के अंग क्या-क्या हों इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, जिसने हमें पैदा किया उसने हमें ऐसा ही बनाया है, तो आईये शरीर के कुछ हिस्सों पर विचार करें जो ईश्वर ने बनाए हैं और जिनका सम्बन्ध हमारे खाने पीने से है।

हमारे दांत जिसने हम चबाते हैं, यह हमने तय नहीं किया था कि उनकी संख्या 32 हो और वे किस आकार के हों। यह भी उसी ने तय किया जिसने शरीर दिया था। अब देखिये कि दुनिया में कुछ जीव ऐसे हैं जो शुद्ध मांसाहारी हों जो सब्ज़ी खा ही नहीं सकते, जैसे शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली आदि। इनके सामने की साइड के दांत, जो 'कीले' (Canines) हैं, नुकीले होते हैं और उनके यह दांत दूसरे दातों से ज्यादा लम्बे और स्पष्ट होते हैं। जितने शुद्ध शाकाहारी जीव होते हैं जैसे गाय, भैंस,



हिरन इत्यादि जो मांस खा ही नहीं सकते, इनके नुकीले दांत या 'कीले' (Canines) होते ही नहीं हैं। बदले में उनकी दबड़े ज्यादा होती हैं। मनुष्य के यह नुकीले दांत होते हैं परन्तु यह अन्य दांतों से लम्बे और स्पष्ट नहीं होते। ईश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है इस से सिद्ध हुआ कि बनाने वाले ने हमें, न तो शुद्ध मांसाहारी और न शुद्ध शाकाहारी बल्कि मिश्रहारी (मांस और सब्ज़ी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करने वाला) बनाया है। यह कहना तो ईश्वर पर उंगली उठाना है कि उसने समस्त मनुष्यों को शाकाहार के लिये ही पैदा किया। क्या ईश्वर इतना भी नहीं समझता कि मनुष्य के लिये क्या आवश्यक है? वह चाहता तो पहाड़ी (बर्फ़ले) इलाकों के लोगों के दातों की बनावट समतल स्थान पर रहने वाले मनुष्यों के दातों की बनावट से भिन्न रखता ताकि केवल बर्फ़ले क्षेत्रों के रहने वाले मांस का सेवन कर सकते क्योंकि वहां पर सब्ज़ी का उत्पादन बहुत कम होता है। वह समतल स्थानों पर रहने वाले मनुष्यों के दातों की बनावट ऐसी रखता कि वे केवल साग-सब्ज़ी खा सकते क्योंकि वहां पर सब्ज़ी का उत्पादन उपयुक्त मात्रा में होता है। वह चाहता तो किसी इन्सान का आहार मांस होता ही नहीं। पर्वतीय क्षेत्रों में भी तो पहाड़ी बैल, बकरे, घोड़े आदि शुद्ध शाकाहारी जीव रहते वसते ही हैं। परन्तु ईश्वर ने मनुष्य के दांत शाकाहार और मांस खाने वाले, दोनों प्रकार के रखे हैं ताकि वह दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण कर सके।

जितने शुद्ध मांसाहारी जीव होते हैं उनके जबड़े, खाना चबाते समय ऊपर-नीचे दिशा में ↑↓ (Vertically) हिलते हैं जबकि शुद्ध शाकाहारी जीवों के जबड़े चक्की के पाट की तरह साइड की दिशाओं में ←→ (Horizontally) या चक्की के पाटों के समान चलते हैं। मनुष्य जब कोई चीज़ चबाता है तो उसके जबड़े दोनों तरह से चलते हैं चक्की की पाट की तरह भी और ऊपर-नीचे

भी। इससे भी सिद्ध होता है कि मनुष्य को ईश्वर ही ने मिश्रहारी पैदा किया है। अब क्या ईश्वर में इतनी भी समझ नहीं कि वह उनके जबड़ों का संचार केवल शाकाहारियों जैसा रखता ताकि वह शाकाहार का ही प्रयोग कर सकते?

शुद्ध मांसाहारी जीवों जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर के मुंह से चबाने के समय खाना पचाने के लिये जो राल (Enzymes) निकल कर खाने में मिलती है वह तेजाबी (Acidic) होती है। गाय, बकरी, भैंस, हिरन, गेंडा आदि जब खाना चबाते हैं तो उनके मुंह से भी एक राल निकलती है जो खारी (Alkaline) होती है और जो उनके खाने को पचाने के काम में आती है। मनुष्य के गुदूद (Glands) में से दोनों तरह की राल (Enzymes) निकलती है, तेजाबी (Acidic) भी और खारी (Alkaline) भी। इस से भी सिद्ध होता है कि मनुष्य मिश्रहारी है।

शुद्ध मांसाहारी जीवों की आंत जिसमें से भोजन गुज़रता है वह छोटी होती है। शाकाहारी जीवों की आंतें लम्बी होती हैं। मनुष्य की आंतों की लम्बाई इन दोनों के बीच की होती है। इस से मालूम हुआ कि मनुष्य को मिश्रहारी पैदा किया गया है।

खाना खाने और पचाने के तन्त्र के अलावा भी जितने शुद्ध मांसाहारी जीव होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर चीता आदि, जब उनके बच्चे होते हैं तो उन बच्चों की आंखें 7 या 8 दिन में खुलती हैं, जबकि शुद्ध शाकाहारी जीव बकरी, गाय, भैंस आदि के बच्चों की आंखे पैदा होने के समय से ही पूरी खुल जाती हैं। मनुष्य के बच्चे का व्यवहार इसके बीच का होता है। तेज़ रौशनी में वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब रौशनी कम हो तो वह आंखें खोल देता है। इस से भी सिद्ध हुआ कि मनुष्य जन्म से ही मिश्रहार के लिये पैदा किया है।

यह अन्याय या बे ईमानी होगी यदि वैज्ञानिक और तर्कसंगत तथ्यों में इसका उल्लेख न किया जाए कि ऐसा एक सबूत मनुष्य के मांसाहार के खिलाफ़ भी जाता है। शुद्ध मांसाहारी जानवर पानी पीने के लिये अपनी जुबान का प्रयोग करते हैं। शाकाहारी जानवर पानी पीने के लिये अपने होंठों का प्रयोग करते हैं और मनुष्य भी पानी पीने के लिये सिर्फ़ अपने होंठों का प्रयोग करते हैं। पाँच सबूतों का मनुष्य को मिश्रहारी सिद्ध करना और एक सबूत मांसाहार के खिलाफ़ भी होना यह दर्शाता है कि मनुष्य के संतुलित आहार में शाकाहार की मात्रा अधिक और मांसाहार की मात्रा कम रखी गई है। जो मांसाहार के खिलाफ़ कड़ी नीति अपनाते हैं उन का आहार भी असन्तुलित है और जो दोनों समय या बहुत अधिक मांस खाते हैं वे भी असन्तुलित भोजन खाते हैं।

वासतविकता यह है कि ईश्वर ने इन्सान को मिश्रहारी बनाया है, यह मानव का अपना विगाड़ है कि वह प्रकृति और ईश्वरीय नियमों के खिलाफ़ अपने नियम बना कर उसे धर्म का नाम दे।

गाजर-मूली और भैंस, बैल, बकरी में अन्तर

यह याद दिलाने के बाद कि शाकाहार में मांसाहार से अधिक जीव हत्या होती है तथा हर जीव का भोजन जीव ही है और यह सिद्ध हो जाने के बाद कि ईश्वर ने इन्सान को मिश्रहारी जीव बना कर उसी के अनुकूल शरीर दिया है, मांसाहार विरोधी प्रायः खीज कर यह पूछते हैं कि क्या गाजर मूली और भैंस, बैल, बकरी आदि में कोई अन्तर नहीं है? अन्तर अवश्य है। न किसी पशु को कभी मानव के स्तर पर लाया जा सकता है और न बनस्पति को पशु के समान समझा जा सकता है। एक ईश्वर ने ही इन तीनों श्रेणियों को पैदा किया है। ईश्वर ने मनुष्य को प्रथम श्रेणी में पशु-पक्षी को दूसरी श्रेणी तथा बनस्पति को तीसरी श्रेणी में रखा। यह तीनों जीव

हैं। उसी ने यह प्रकृतिक नियम निश्चित किया कि मानव और पशु-पक्षियों के लिये तीसरी श्रेणी (बनस्पति) की बलि दी जा सकती है। हम स्वयं भी अपनी आवश्यकता के लिये उन्हें काट कर या अखाड़ा कर हर प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं और पशुओं के लिये उनका चारा बोकर बनस्पति को काट कर पशु पक्षियों को खिला सकते हैं। क्योंकि बनस्पति की यह बलि ईश्वरीय आज्ञा और विधान के अनुसार है इस लिये यह हत्या नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य प्रथम श्रेणी में आते हैं तो उनकी आवश्यकता के लिये दूसरी श्रेणी यानी पशु पक्षियों का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे उन से दूध लेने के लिये उन्हें खूटे से बांधना हो, चाहे उन का भोजन के लिये सेवन करना हो। यह बलि भी ईश्वरीय आज्ञा और विधान के अनुसार है, इस लिये यह भी हत्या नहीं है। समस्या तब होती है जब हम पहली दोनों श्रेणियों में कोई अन्तर न करें या पशु-पक्षियों को मानव से उत्तम समझने लगें। ऐसी अवस्था में भोजन के लिये उन की बलि भी हत्या मानी जाएगी और उन पर सवारी करना, उन से काम लेना, व उन को बाँध कर रखना आदि सभी अत्याचार कहलाएंगे।

सत्य यह है कि पेड़-पौधों को ईश्वर ने मनुष्यों व पशु-पक्षियों के लिये बनाया है और पशु-पक्षियों को मनुष्य के लिये बनाया है (तथा मनुष्य को अपनी मार्फत या पहचान या प्राप्ति के लिये बनाया है)। पेड़-पैधे और पशु-पक्षी कहीं न कहीं किसी प्रकार से मनुष्य की सेवा में लगे हैं। ईश्वर ने इन दोनों को इसी लिये पैदा किया है ताकि मनुष्य अपना अस्तित्व कायम रख सके और इन से उस की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। यही प्रकृति है और यही धर्म है।

इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्य दोनों के साथ एक समान व्यवाहार करेगा। पेड़ पौधे कम दरजे में हैं इसलिये उनके साथ वैसा ही सुलूक किया जाएगा। पशु-पक्षी उनसे ऊपर के दरजे के हैं,

उनके साथ उसी के अनुकूल व्यवाहार किया जाएगा लेकिन कभी भी इन दोनों श्रेणियों को मनुष्य के समान दरजा नहीं मिलेगा।

आईये अब गोर करें कि इन दोनों (पशु पक्षी व पेड़ पौधे) के बीच क्या अन्तर रखना आवश्यक है। क्या अन्तर हो यह तय करने का अधिकार भी उसी एक को है जिस ने इन्हें और हम सब को पैदा किया। उस ने यह विधान रखा कि सभी पशु-पक्षियों का वध, जिन से मनुष्य को ख़तरा नहीं है, आम तौर से अवैध या हराम है। फिर जिन पशुओं को उस ने इन्सान का भोजन बनाने की इजाज़त दी, उन की बलि के लिये दो शर्तें भी नियुक्त कीं। (1) उन की बलि के समय ईश्वर का नाम लिया जाए ताकि यह याद रहे कि उसी ने मानव की आवश्यकता के लिये इस की इजाज़त दी थी। (2) उन्हें काटते समय ईश्वर की बताई हुई विधि अपनाना ज़रूरी है वरना यह हत्या हो जाएगी। इन दोनों शर्तों का उल्लेख मनु स्मृति में है।

“न अद्याद् अविधिना मांसं विधिज्ञो अनापदि द्विजः”। (मनु० 5:33)

अर्थात् विधान को जानने वाला द्विज बिना आपत्तिकाल में पड़े विधिरहित मांस को न खाए।

और ईश्वर के नाम के मन्त्र से संस्कृत करना भी मनु स्मृति ने आवश्यक बताया।

“असंस्कृतात् पश्चत् मन्त्रैर् न अद्याद् विप्रः कदा चन।

मन्त्रैस्तु संस्कृतात् अद्यात् - शाश्वतं विधिम् आस्थितः॥” (मनु० 5:36)

अर्थात् ब्राह्मण मन्त्रों से असंस्कृत मांस को कदापि न खाए। मन्त्रों से संस्कृत मांस को ही, सदा विधि पूर्वक ही खाए।

मुसलमान जब साग सब्जी काटते हैं तो उस समय ईश्वर का नाम लेना ज़रूरी नहीं समझते परन्तु अगर किसी बकरे को काटते हैं और उस पर ईश्वर का नाम नहीं लिया तो वह हराम होता है, चाहे उसकी जान जैसे भी जाए। इस के अतिरिक्त उसे ज़िबह करने की धर्म की बताई हुई विधि के अनुसार काटना भी आवश्यक होता है। दोनों अवस्थाओं में जीवों की मृत्यु हो रही है परन्तु पशु-पक्षियों को ईश्वर के नाम के मन्त्र के बिना नहीं काट सकते। पेड़-पौधों को काटने के लिये न किसी विधि का प्रयोग आवश्यक और न मन्त्र पढ़ना। दोनों में से एक शर्त भी छूटती है तो वह बलि हराम हो जाएगी यानि पशु ज़िबह न होगा और यह हत्या कहलाएगी।

इसका सामान्य उदाहरण विवाह या निकाह में देखा जा सकता है। जब एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करके साथ रहने लगते हैं तो समाज इसे व्यभिचार और बदचलनी कहता है। ईश्वर ने इसे हराम और अवैध ठहराया है। परन्तु इसके विपरीत अगर वही काम निकाह या फेरे लेने और ईश्वर के नाम के मन्त्रों के साथ किया जाता है तो लोग उपहार देते हैं, बधाई देते हैं और उन दोनों को समाज में अच्छी नज़रों से देखा जाता है। दोनों अवस्थाओं में उन दोनों के सम्बन्धों में क्या अन्तर हुआ? बिना फेरों या निकाह के भी उनका सम्बन्ध वही था और फेरों या निकाह के बाद भी उनका सम्बन्ध वही रहा। अन्तर इस लिये हुआ कि यह मनुष्य की आवश्यकता है परन्तु जिसने पैदा किया है वह यह जानता है कि इस आवश्यकता की खुली इजाज़त नहीं दी जाएगी वरना समाज में बहुत सी बुराइया पैदा हो जाएंगी और उससे बहुत से नुकसान हो जाएंगे। इसी कारण पहले इस रिश्ते को सामान्यतः नाजायज़ रखा। फिर सृष्टा ने कुछ सीमाएं और एक विधि नियुक्त की और यह भी ज़रूरी रखा कि उसके नाम के मन्त्रों के साथ ही वह संबंध शुरू हो। इसी प्रकार क्योंकि पशु-पक्षी, श्रेणी में पेड़ पौधों

से ऊपर हैं इसलिये ईश्वर ने उनकी खुली हत्या को हराम रखा। किसी पशु पक्षी को मारना अवैध है परन्तु जो कर्म सामान्यतः हराम होते हैं, उन्हें, यदि ईश्वर की अज्ञा हो तो, जायज़ या हलाल किया जाता है। यानी हम यह कहते हैं कि हे ईश्वर, तूने इनको खुले तोर पर मारना हराम रखा है परन्तु बनाने वाला तू है और तू यह भी जानता है कि यह हमारी आवश्यकता है, इसलिये हम तेरा नाम लेकर और तेरी बताई हुई विधि के अनुसार इसे हलाल कर रहें हैं।

मांसाहार से पशुओं की संख्या कम नहीं होती

यह मिथ्या वचन भी बहुत कहा जाता है कि पशुओं को आहार बनाने से दूध देने वाले तथा अन्य उपयोगी पशुओं की संख्या कम हो जाएगी। ऐसा दावा न केवल युग-युग के अनुभव के खिलाफ़ है बल्कि ऐसा है जैसे आँखों देखी बात को झुटलाया जाए। जंगल के कुछ शेर या अन्य जानवरों की शिकारी या तस्करी हत्या कर देते हैं तो उन की संख्या में कमी और नसल ख़त्म होने तक का ख़तरा पैदा हो जाता है परन्तु खाने योग्य अहिंसक पशुओं के लिये यह कहना दिन को रात बताने जैसा है। जब से इन्सान धरती पर है, वह मंसारार करता आरहा है। संसार के हर क्षेत्र के सभी मानव सदा से मांस खाते रहे हैं। केवल भारत में (नेपाल में भी नहीं) कुछ शताब्दियों पूर्व एक अल्प संख्या ने मांसाहार का विरोध शुरू किया। आँकड़ों में बहुत मतभेद है परन्तु मांसाहार विराधियों के अनुमान के अनुसार हर वर्ष 50 अरब जानवर काटे जाते हैं। जैसे जैसे जन संख्या बढ़ रही है, खाने के लिये काटे जाने वाले जानवरों की संख्या भी बढ़ती रही है। विश्व के बहुत से देशों में अन्न की कमी तो आप ने सुनी होगी, खाने योग्य जानवर कभी कम नहीं हुए, मछलियों की कमी नहीं हुई। यह स्वयं सृष्टा का विधान है कि

जानवर अन्य कारणों से मारे जाने से कम होते हैं, खाने के लिये काटे जाने से कम नहीं होते।

जब भारत में सभी मांसाहारी थे, न अन्न की कमी थी, न जानवरों की। आज 30-35 प्रतिशत शाकाहारी होने के बाद अन्न की समस्या है।

धर्मानुसार वध हत्या नहीं है

जीव हत्या का नाम लेने वाले यह याद रखें कि जीव की हत्या तो कभी होती ही नहीं। हत्या यदि हो तो बिखरने वाले शरीर की ही होती है।

श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा तो अमर है वह कभी नहीं मरता (गीता 2:19, 22 आदि)

जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हम अपने सम्बंधियों की हत्या नहीं करेंगे। इस से अच्छा तो यह है कि हम अपने अधिकार छोड़ कर जंगल में चले जाएंगे। (गीता 1:28-46)

श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि कि अगर बात सत्य की हो तो इन्सानों को भी मारने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिये क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा तो अमर है और इस समय तुम्हारा युद्ध न करना अर्धम होगा। (गीता, अध्याय 2)।

शरीर का वध यदि धर्मानुसार हो तो वह हत्या नहीं कहलाता। मनु स्मृति का भी यही फैसला है।

“या वेदविहिता हिंसा यिता-अस्मिंश् चर-अचर।

अहिंसाम् एव तां विद्याद् वेदाद् धर्मो हि निर्बभौ॥” (मनु० 5:44)

अर्थात् इस चर-अचर जगत में जो हिंसा वेद सम्मत है उसे हिंसा नहीं समझे क्योंकि वेद से ही धर्म निकला है।

क्या मांसाहार धर्म-सम्मत है?

क्या मांसाहार धर्म-सम्मत है? इस पर विचार करने से पहले यह उत्तर देना आवश्यक है कि क्या इसका कोई सुवृत्त है कि ईश्वर ने इसको मना किया था? क्या यह किसी एक ईश्वर को मानने वाले धर्म के किसी शास्त्र में लिखा है कि पशु पक्षियों की विधिवत बलि नहीं होगी? सनातन धर्म के ग्रन्थों में इस का स्पष्ट उल्लेख है कि विधिवत मांसाहार मना नहीं है। इस के साथ्य भी मौजूद हैं और प्रमाण भी मौजूद हैं कि भारत में मन्दिरों में बड़ी संख्या में बलि का प्रचलन था। पवित्र वेद जिसे सनातन धर्मी ईश्वाणी कहते हैं, उसमें अश्व मेध, गो मेध आदि यज्ञों का उल्लेख है। माना जाता था कि इन यज्ञों से मानवता की भलाई होगी।

संस्कृत में मेध का अर्थ है बलि। कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी इसको देख कर समझ जाएगा कि इन यज्ञों का क्या अर्थ है। नेपाल जो कि अभी कुछ दिनों पूर्व तक विश्व का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र था, वहां के अधिकांश मन्दिरों पर आज भी पशु बलि होती है। भारत में नैनीताल के नैनी देवी के मन्दिर पर भी बलि होती है, बंगाल के बहुत से मन्दिरों पर बलि होती है। बलि किया हुआ सारा मांस खाने के प्रयोग में आता है, इसे फेंका नहीं जाता है। पशु के अच्छे अंग पण्डित को मिलते हैं और बाकी का हिस्सा आम लोगों का होता है। आज जो लोग इस प्रथा को बंद करने की बात करते हैं, उनका भी एक उदाहरण सुन लीजिये। यह उस समय की बात है जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर जोशी थे।

उन्होंने 1991 में कन्या कुमारी से कश्मीर तक की एकता यात्रा का ऐलान किया। यह वह समय था कि जब कश्मीर में उग्रवाद अपने शिखर पर था। यात्रा पूरे एक महीने चली थी वहां खतरा तो पहले ही था पर बाद में वहां के उग्रवादी संगठनों ने धमकी देदी कि वे जान से मार देंगे, आने नहीं देंगे। अगर बात एक दिन की होती तो उन्हे प्रधान मंत्री स्तर की सुरक्षा भी दे दी जाती परन्तु बात क्योंकि एक महीने तक इतने लम्बे रासते की थी। जब खतरा इतना बढ़ गया तो उन्होंने कन्या कुमारी में एक भेंसे की बलि दी। उनकी आस्था थी कि बलि देने से परेशनियां दूर होती हैं। इसलिये उन्होंने यह कदम उठाया। यह खबर रात्रि स्वरूप संवाद के समाचार पत्र ‘पाँचजन्य’ में बलि के चित्र सहित प्रकाशित हुई थी।

सनातन-धर्म-ग्रन्थों में मांसाहार

आईये अब खोजें उन सनातनी धर्म ग्रन्थों को जिनके ज्ञानी और पण्डित यह कहते हैं कि मांसाहार में जीव हत्या होती है।

श्री वाल्मीकि रामायण

रामायण भारत का लोकप्रिय ग्रन्थ है परन्तु पाठकों की जानकारी के लिये हम बतादें कि रामायण के नाम पर आज जो कुछ भी पाठ किया जाता है, वह मूल रामायण नहीं बल्कि तुलसी दास जी की रचना ‘राम चरित्र मानस’ है। मूल संस्कृत रामायण श्री वाल्मीकि ने लिखी है। तुलसी दास जी ने जो कुछ भी लिखा वह वाल्मीकि रामायण से लिया है परन्तु उन्होंने उसमें से सिर्फ उतना ही हिस्सा लिया जो उन्हें पसन्द था। वाल्मीकि रामायण से पहले रामचन्द्र जी की कथा का कोई अस्तित्व नहीं था। हम यहाँ रामायण के जो साक्ष्य देंगे, मूल वाल्मीकि रामायण से ही होंगे।

“वायो मैरेयपूर्णश्च मृष्टमांसचर्यैर्वृताः।

प्रतक्षिप्तरैश्चापि मार्गमायूरकौकुटैः॥ (वा० रा०, अयोध्या काण्ड, 91:70)

अर्थात् (भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भरत और उन की सेना की आव भगत के लिये) कुछ बावड़ियाँ, तपे हुए कुण्डों में पकाए गए, हिरनों, मोरों व जंगली मुरगों के नाना प्रकार के स्वच्छ मांस से भरी थीं।

“ततः समृद्धाञ्जुभसस्यमालिनः

क्रमेण वत्सान् मुदितानुपागमत्॥

तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान्

वराहमृश्यं पृष्ठतं महारूरम्।

आदाय मेध्यं त्वरितं बुझुक्षितौ

वासाय काले यथतुर्वनस्पतिम्”॥ (वा० रा०, अयोध्या काण्ड, 52:101-102)

अर्थात् (श्री राम और लक्ष्मन) खेतों की पंक्तियों वाले सुन्दर और संपन्न वत्सदेश (प्रयाग) में जा पहुँचे। वहाँ उन दोनों ने चार महा मृगों को मार कर, तुरन्त उसका स्वच्छ भाग लेकर, जब शाम के समय उन्हें भूख लगी तो एक पेड़ के नीचे ठहरने के लिये पहुँचे।

मनु सृति

“प्राणस्य अन्नम् इदं सर्वं प्रजापतिर् अकल्पयत्।

स्थावरं जंगमं चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम्”॥ (मनु० 5:28)

अर्थात् प्रजापति ने जीव का सब कुछ खाने योग्य ठहराया है। सभी स्थावर (फल, वनस्पति आदि) तथा जंगम (पशु, पक्षी, जलचर आदि) जीवों के भोजन हैं।

“न-अत्ता दुष्टत्यदद्व आद्यान् प्राणिनो अहन्य-अहन्यपि।

धात्रा-एव सृष्टा ह्याद्याश् च प्राणिनो अत्तार एव च”॥ (मनु० 5:30)

अर्थात् प्रतिदिन भी खाने योग्य जीवों को खाने वाला दोषी नहीं होता क्योंकि सृष्टा ही ने भक्ष्य (खाने योग्य) तथा भक्षक दोनों ही जीवों को बनाया है।

निष्कर्ष

ऊपर के पृष्ठों में आप ने देखा कि जीव केवल जीव को ही खाता है। यही प्रकृति है और यही धर्म ग्रन्थ कहते हैं। खेती में मांसाहार की तुलना में बहुत अधिक जीवों की हत्या होती है परन्तु क्योंकि पशु-पक्षी, वनस्पति से ऊपर की श्रेणी के जीव हैं, इस लिये उन के खाने का एक विधान सृष्टा ने रखा है। इन की बलि के लिये हर बार उस की इजाजत की ज़रूरत है। इस श्रेणी के जिन जीवों को आहार बनाने की इजाजत है, उन की बलि के लिये एक विधि है और उन की बलि पर सृष्टा के नाम का मन्त्र ज़रूरी है। धर्म ग्रन्थ कहते हैं कि धर्मानुसार वध में हत्या नहीं होती। जीव विज्ञान के सबूतों से स्पष्ट है कि मानव के संतुलित आहार में मांसाहार कम मात्रा में और शाकाहार अधिक होना चाहिये।

प्रिय पाठको! हर व्यक्ति का भोजन उस की पसन्द के अनुसार होता है। जो मांस न खाना चाहे उसे कोई मजबूर नहीं करता लेकिन इसे धर्म-विरुद्ध मानने वाले स्वयं धर्म ग्रन्थों के विरोधी होने के दोषी होंगे।